न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –4/2014 (आव.व.अधि)

राज्य सरकार जरिये संध्या सिन्हा, प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा जिला कोटा

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री बाबूलाल मालव पुत्र श्री केशरीलाल निवासी 141, हरीपुरा, तहसील सांगोद जिला कोटा
2. विक्रय अधिकारी, बीपीसीएल ताथेड़, कोटा

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक– 26.02.2020

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि संध्या सिन्हा प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि दिनांक 3.4.2014 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी कोटा के आदेश कमांक/प्रवर्तन/2014/139 दिनांक 12.3.2014 की पालना में गठित जांच दल में मैं प्रवर्तन अधिकारी संध्या सिन्हा, तथा सुरेश कुमार प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय कोटा के साथ जांच हेतु तहसील पीपल्दा के पेट्रोल पम्प फर्म मैसर्स खातौली सर्विस स्टेशन पहुंची वक्त जांच खातौली सर्विस स्टेशन पर श्री राम मुकेश पुत्र श्री रामप्रसाद जाति खटीक निवासी इटावा उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को पेट्रोल पम्प का सेल्समेन होना बताया, सेल्समैन श्री राम मुकेष की उपस्थिति में निरीक्षण कार्य संपादित किया गया । उपस्थित सेल्समैन से जांच हेतु स्टॉक व बिक्री रजिस्टर, डीएसआर, अनुज्ञा पत्र विस्फोटक अनुज्ञा पत्र आदि दस्तावेज उक्त फर्म के मांगे गये, किन्तु सेल्समैन द्वारा कोई भी दस्तावेज वक्त जांच नहीं उपलब्ध करवाया गया । मौके पर पेट्रोल व डीजल नोजल की डिस्पेसिंग यूनिट की रीडिंग ली गयी, पेट्रोल नोजल की डिस्पेंसिंग यूनिट रीडिंग 615491 तथा डीजल की डिस्पेंसिंग यूनिट की रीडिंग 583820 थी । मौक`पर उक्त पम्प के 20 के.एल. के दो भूमिगत टैंक थे जिनकी क्षमता 20 के. एल. थी जिसमें एक पेट्रोल टैंक 20 के.एल. तथा दूसरा डीजल टैंक क्षमता 20 के. एल. का था । मौके पर डीजल व पेट्रोल के स्टॉक के भौतिक सत्यापन हेतु सेल्समैन से टैंक पर लगे तालों की चाबी मांगी गयी थी किन्तु उक्त सेल्समैन द्वारा चाबी होना नहीं बताया गया । मौके पर उक्त दौनों टैंकों पर लगे तालों को तुडवाया गया तथा दौनों टैंको को डीप रोड द्वारा डिप रीडिंग ली गयी । मौके पर डीजल टैंक की डिप रीडिंग 98 अर्थात 9538 अर्थात 9538 लीटर डीजल तथा

Scanned by CamScanner

पेट्रोल तथा पेट्रोल की डिप रीडिंग 20 अर्थात 1006 लीटर थी । मौके पर उक्त सेल्समैन द्वारा पूछने पर बताया गया कि उसके द्वारा गत माह की दिनांक 1.3.2014 को क्षैत्रीय प्रवर्तन अधिकारी श्री इरफान कुरैषी को उनके द्वारा जांच करवायी गयी थी, जिसमें उक्त सेल्समैन को बिना जिला रसद अधिकारी की अनुमति के दिनांक 1.3.2014 के पेट्रोल पम्प के पेट्रोल के स्टॉक2615 लीटर तथा डीजल के स्टॉक 8527 लीटर विकय अथवा स्टॉक के स्थानांतरण नहीं करने हेतु पाबंद किया गया तथा सभी आवष्यक दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाने हेतु पाबंध किया गया किंतु आज दिनांक को किए गये निरीक्षण में डीजल की डिस्पेसिंग यूनिट की रीडिंग 563820 तथा गत माह की निरीक्षण 544895 अर्थात 18925 लीटर डीजल का बेचान किया गया आज दिनांक को की डिस्पेंसिंग यूनिट की रीडर 615491 तथा गत दिनांक 1.3.2014 की डिस्पेंसिंग यूनिट की रीडिंग 611116 थी, अर्थात उक्त फर्म द्वारा 4375 लीटर पेट्रोल का बिना जिला रसद अधिकारी की अनुमति के तथा बिना आवष्यक दस्तावेजों से किया गया । मौके पर उक्त पम्प पर पेट्रोल व डीजल भरवाने हेतु आ रहे उपभौक्ताओं से पूछताछ की गयी, जिन्होंने पूछने पर बयान दिया कि उक्त पम्प द्वारा पिछले माह में लगातार पेट्रोल व डीजल का बेचान किया जा रहा है । उक्त फर्म का The rajasthan petroleum product (Licensing & Control) Order 1990 के अन्तर्गत जारी लाइसेन्स की प्रति मांगी गयी थी किन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर लाइसेंस की प्रति जिला रसद कार्यालय से ली गयी थी किन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर लाइसेंस की प्रति जिला रसद कार्यालय से ली गयी, उक्त फर्म का RPPL Order 1990 में लाइसेंस नं0 138/2010 है जो कि बाबूलाल मालव पुत्र श्री केशरीलाल निवासी 144, हरीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा के निवासी हैं का जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र दिनांक 31.12.2010 तक वैध था। उक्त फर्म द्वारा 31.12.2010 के बाद अपने लाइसेंस का कार्यालय से नवीनीकरण नहीं करवाया गया तथा इस संबंध में उक्त उपस्थित द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब भी नहीं प्रस्तुत किया हैं। उक्त फर्म मैसर्स खातौली सर्विस स्टेशन व बीपीसीएल के सैल्स ऑफिसर को श्रीमान जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक/रसद/प्रवर्तन/2014/163–64 दिनांक 25.03.2014 से अवगत करवाया गया कि उक्त जांच में उनकी उपस्थिती अनिवार्य हैं किन्तु उक्त सैल्स ऑफिसर से मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से उनके दूरभाष नंबर 9414009669 जांच में आने हेतु समन्वय किया गया किन्तु उनके द्वारा उक्त जांच के आने हेतु अपनी असमर्थता जाहिर की गयी। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त फर्म द्वारा बिना दस्तावेजों, स्टॉक व बिक्री रजिस्टर, आवश्यक लाईसेंस के अवैध रूप से डीजल व पेट्रोल का बिना किसी रिकॉर्ड के बेचान किया जा रहा हैं। उक्त फर्म द्वारा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के मूल खण्ड 3, 10 व 15 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया हैं। मौके पर स्टॉक व मूल सूची बोर्ड संधारित नहीं थी न ही सुरक्षा मानक हेतु अग्निशमन यंत्र व मिट्टी की बाल्टियां थी। अतः उक्त फर्म की मौके पर एक नोजल पेट्रोल की दूसरी नोजल डीजल की तथा दोनों भूमिगत टैंकों को ताला लगाकर धागे से सील कर, सील व चपडी लगायी गयी। दूरभाष पर जिला रसद अधिकारी, कोटा से प्राप्त निर्देशों की पालना में संबंधित थाना, खातौली थानाधिकारी को जब्त किए गये 1006 लीटर पेट्रोल व 9538 ली0 डीजल को सुरक्षा एवं देखरेख हेतु पत्र

Scanned by CamScanner

लिखकर निवेदन किया गया, जो संलग्न फर्द मौका हैं। मौके पर उपस्थित समस्त मौत विरानों के समक्ष फर्द बनायी गयी। सुनायी गयी व पढायी गयी, चूंकि सही मानकर हस्ताक्षर किए व करवाये गये। फर्द अभिग्रहण अलग से बनायी गयी। इस प्रकार प्रारंभिक जांच दिनांक 01.03.2014 को उक्त मैसर्स खातौली सर्विस स्टेशन को अनियमितताऐं करने पर अग्रिम आदेश तक यथा स्थिति बनाये रखने व पेट्रोलियम उत्पाद का विक्रय नहीं करने के लिये पाबंद किया गया था व विक्रय अधिकारी बीपीसीएल को भी दूरभाष से व लिखित में प्रकरण में सहयोग करने का निवेदन किया गया था किन्तु इसके बाबवजूद मैसर्स खातौली सर्विस स्टेशन के प्रोपराईटर व मौके पर उपस्थिति सेल्समेन श्री राममुकेश ने पेट्रोलियम उत्पाद का विक्रय किया गया तथा बीपीसीएल सेल्स ऑफिसर व डिपो मैनेजर के द्वारा मैसर्स खातौली सर्विस स्टेशन को पेट्रोलियम उत्पाद की लगातार आपूर्ति की गई। इस प्रकार उक्त अनियमितताएँ कर फर्म मैसर्स खातौली सर्विस स्टेशन के प्रोपराईटर श्री बाबूलाल मालव व सेल्समैन श्री राममुकेश के द्वारा तथा उक्त अनियमितताओं में सहयोग कर बीपीसीएल के विक्रय अधिकारी तथा डिपो मैनेजर द्वारा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के मूल खण्ड 3, 10 व 15 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया हैं। उक्त सभी वर्णित व्यक्तियों के द्वारा की गई अनियमितताऐं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हैं। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(A) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जप्तशुदा 1006 लीटर पेट्रोल व 9538 लीटर डीजल को राजसात करने के आदेश प्रदान फरमावें। साथ ही पेट्रोल व डीजल अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ हैं, अतः धारा 6(A)2 के अन्तर्गत इनका शीघ्र अन्तरिम निस्तारण किया जाना उचित रहेगा।

2. प्रकरण इस न्यायालय को प्रस्तुत होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया । पेरोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी नं. 1 बाबूलाल मालव द्वाराकारण बताओ नोटिस का जवाब दिया गया जिसमें कथन किया है कि प्रार्थी का इटावा श्योपुर में रोड पर पेट्रोल पम्प स्थित था, उक्त पैट्रोल पम्प वर्ष 2010 में चालू किया था, परंतु मेरी परिस्थितियों अनुसार उक्त पैट्रोल पम्प दिनांक 23.2.2012 को बी पी सी एल कम्पनी के द्वारा बंद कर दिया गया है । उसके बाद मेरे द्वारा वहां से स्टॉफ वगैरा सभी हटा दिये गये यानि मेरी ओर से उक्त पैट्रोल पम्प पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है । दिनांक 23.2.2012 से उक्त पैट्रोल पम्प से मेरा कोई लेना देना शेष नहीं है और मेरा लाईसेन्स भी निरस्त हो चुका है । इसलिये उक्त पैट्रोल व डीजल से हमारा कोई भी सरोकार नहीं है ।

3. इसी प्रकार अप्रार्थी सं0 2 द्वारा भी अपने जवाब दिनांक 25.1.2016 में कथन किया है कि प्रार्थी/प्रतिपक्षी खातोली सर्विस स्टेशन पर सेल्समैन के रूप में कार्यररत रहा था, प्रार्थी के सामने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही पेट्रोल डीजल को अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में नहीं की गई ।उक्त सर्विस स्टेशन के मालिक बाबूलाल मालव है और उक्त व्यक्ति ही खातोली सर्विस स्टेशन का संचालन करता रहा है । प्रार्थी / प्रतिपक्षी को पेट्रोल डीजल के अधिग्रहण करने की कार्यवाही से कोई लेना देना नहीं है तथा जब्तमाल राजसात करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

Scanned by CamScanner

4. अप्रार्थी नं0 3 व 4 की ओर से आनन्द एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ किन्तु अप्रार्थी नं0 3 व 4 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ तथा निरन्तर अनुपस्थित चल रहे है ।
5. सभी अप्रार्थीगण गत पेशियों से निरन्तर अनुपस्थित चल रहे है
6. चूंकि जब्तशुदा माल 1006 लीटर पेट्रोल व 95.38 लीटर डीजल अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होने से पूर्व आदेश दिनांक 15.4.2014 से अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिये जा चुके है । उक्त जब्तसुदा माल को राजसात करने में अप्रार्थी सं0 1 व 2 को कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है, तथा अप्रार्थी व वकील अप्रार्थी नं0 2 व बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वारा उक्त अनियमिताएं की है तथा उक्त अनियमितताओं में सहयोग कर बीपीसीएल के विक्रय अधिकारी तथा डिपो मैनेजर द्वारा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेष 1990 के मूख खण्ड 3,10, व 15 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है ।
7. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तसुदामाल 1006 लीटर पेट्रोल व 9538 लीटर डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत राजसात करने के आदेश दिये जाते है । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी कोटा को पालनार्थ भेजी जावें ।
8. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner